<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–किशोर न्यायालय, जहानाबाद</u>।

परिवाद (एस.सी./एस.टी.) वाद सं0 – 02/2025

<u>शिव शंकर पासवान बनाम् धीरज कुमार एवं अन्य</u>

<u>16.04.2026</u> परिवाद वाद सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर परिवादी शिव शंकर पासवान उपस्थित नहीं हुए और न हीं उसकी तरफ से उसका पक्ष रखने के लिए उसके अधिवक्ता हीं उपस्थित हुए।

इस परिवाद वाद के अवलोकन से विदित होता है कि यह परिवाद, परिवादी शिव शंकर पासवान की ओर से 23.01.2025 को दाखिल किया गया था। उसके उपरान्त दिनांक 30.04.2025 के बाद नियत विभिन्न तिथियों पर परिवादी न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न हीं उसकी तरफ से कोई पैरवी हीं की गई।

अग्रेत्तर अवलोकन से विदित होता है कि इस मामले में परिवादी द्वारा न तो अपना सशपथ बयान कराया गया है और न हीं अपने समर्थन में कोई जॉच साक्षी को हीं प्रस्तुत किया गया है। परिवाद के अवलोकन से भी दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा. से संबंधित होने के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। इस परिवाद वाद में कार्यवाही करने का कोई पर्याप्त आधार दर्शित नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त अभिलेख से ऐसा भी दर्शित होता है कि परिवादी को अपने इस वाद में कोई रूचि शेष नहीं रह गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में इस परिवाद वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेश दिया जाता है कि इस वाद को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा कराना सुनिश्चित करें।

लेखापित

(अरूण कुमार शर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम
–सह–
विशेष न्यायाधीश; अनु.जा./अनु.जन.जा.
जहानाबाद।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–किशोर न्यायालय, जहानाबाद।

परिवाद (एस.सी./एस.टी.) वाद सं0 – 02/2025

शिव शंकर पासवान बनाम् धीरज कुमार एवं अन्य

<u>जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–सह–किशोर न्यायालय, जहानाबाद।</u>

परिवाद (एस.सी./एस.टी.) वाद सं0 – 02/2025

<u>शिव शंकर पासवान बनाम् धीरज कुमार एवं अन्य</u>

न्यायालय श्रीमान द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद।

थाना प्रभारी, मखदुमपुर, जहानाबाद।

मखदुमपुर थाना कांड संख्या 21/2020 में जब्त मोटर साईकिल BR25E-8324 को आवेदक कृष्ण प्रसाद वल्द विद्यानन्द प्रसाद साकिन कोरा, थाना घोषी, जिला जहानाबाद को उचित पहचान पर और सभी कागजात मिलान कर गाड़ी मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। केस के निष्पादन तक रंग व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।

सत्रवाद संख्या–293/2024
मखदुमपुर थाना कांड संख्या 21/20

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
व्यवहार न्यायालय जहानाबाद।
दिनांक–29.05.2025